### न्यायालय :- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बिहर् जिला बालाघाट (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)

व्यवहार वाद क्रमांक-40 ए/2014 संस्थापन दिनांक-09.11.2009 फाईलिंग क.23450300912009

1-फिरत्सिंह उर्फ किसनसिंह पिता गंगाराम, उम्र-65 वर्ष, जाति गोंड (मृत) निवासी-ग्राम मेंढकी, तहसील बैहर, जिला–बालाघाट (म.प्र.) 🧥

2-रूपसिंह पिता गंगाराम, उम्र-45 वर्ष, जाति गोंड निवासी-ग्राम मेंढकी, तहसील बैहर, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

#### विरुद्ध

1-स्रपतसिंह पिता पिता गंगाराम, उम्र-55 वर्ष, जाति गोंड निवासी-ग्राम मेंढकी, तहसील बैहर, जिला–बालाघाट (म.प्र.) THE STATE OF THE PARTY OF THE P

2-सीताबाई पति स्रपतिसंह उम्र-50 वर्ष, जाति गोंड निवासी-ग्राम मेंढकी, तहसील बैहर, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

3-धनेन्द्रसिंह पिता सुरपतसिंह, नाबालिग वली पिता सुरपतसिंह पिता गंगाराम उम्र-17 वर्ष, जाति गोंड निवासी-ग्राम मेंढकी, तहसील बैहर, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

4-सनियाबाई पति गंगाराम, उम्र-80 वर्ष, जाति गोंड (मृत) निवासी-ग्राम मेंढकी, तहसील बैहर, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

5-पारवतीबाई पति सम्मलसिंह, उम्र-58 वर्ष, जाति गोंड, निवासी-ग्राम मेंढकी, तहसील बैहर, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

6-म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट (म.प्र.)

<u>प्रति</u>वादीगण

# -:// <u>निर्णय</u> //:-(आज दिनांक-31/08/2015 को घोषित)

- 1— वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह व्यवहार वाद मौजा मेंढकी, प.ह. नं—21 राजस्व निरीक्षक मण्डल व तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नं—69 रकबा 0.06 एकड़, खसरा नंबर 164 रकबा 3.35 एकड़ एवं खसरा नं—20 रकबा 1. 94 एकड़ भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा) पर वादी के 1/3 अंश के स्वत्व की घोषणा तथा विक्रय पत्र दिनांकित 13.09.1991 व 09.12.1992 तथा संशोधन पंजी दिनांक 13.01.1993 को प्रभाव शून्य घोषित कराने हेतु प्रस्तुत किया है।
- 2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादी कमांक—1 व 5 के पिता स्व. गंगाराम की 3 पित्तयों समली, सिनया व सुधियाबाई थी, जो फौत हो चुकी है। गंगाराम की प्रथम पत्नी समलीबाई से फिरतू उर्फ किसन उत्पन्न हुआ, द्वितीय पत्नी सिनया से प्रतिवादी सुरपतिसंह व पारबतीबाई उत्पन्न हुए तथा तृतीय पत्नी सुधियाबाई से वादी रूपसिंह उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी सुरपत की पत्नी प्रतिवादी कमांक—2 सीताबाई एवं पुत्र धनेन्द्रसिंह प्रतिवादी कमांक—3 हैं। यह निर्विवादित तथ्य है कि वाद लंबन के दौरान गंगाराम की पत्नी सिनयाबाई एवं पुत्र फिरतू उर्फ किसन फौत हो गए।
- 3— वादीगण के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि मूल पुरूष गंगाराम की पहली पत्नी समली बाई एवं तीसरी पत्नी सुधिया बाई कि मृत्यु के पश्चात् गंगाराम दूसरी पत्नी सनियाबाई एवं उसके बच्चों के साथ रहता था और वादीगण गंगाराम से अलग रहते थे, जिसका नाजायज फायदा उठाकर जब गंगाराम वृद्ध एवं जहीब हो गया तो वादीगण के हक हिस्से को नष्ट करने कि बदिनयत से वादीगण की चोरी से विवादित भूमि खसरा नं—164 में से एक एकड़ भूमि प्रतिवादी कमांक—2 एवं 3 के नाम एवं 0.80 एकड़ भूमि प्रतिवादी कमांक—5 के नाम से विकयपत्र निष्पादित कर राजस्व अभिलेखों में उसकी प्रविष्टि करवा ली। अतएव विकय पत्र दिनांक—13.09.1991 व 09.10.1992 तथा विकय पत्र के आधार पर राजस्व प्रलेखों में की गई प्रविष्टि संशोधन पंजी कमांक—1, 2, 3 दिनांकित 03.01.1993 अवैधानिक एवं प्रभाव शून्य है। वादी ने उक्त विकयपत्रों एवं संशोधन पंजी को प्रभाव शून्य कर विवादित भूमि पर प्रत्येक वादीगण के 1/3 अंश के स्वत्व की घोषणा का अनुतोष चाहा है।

- 4— प्रतिवादी क्रमांक—1, 2, 3 एवं 5 के द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत कर स्वीकृत तथ्य को छोड़कर वादपत्र के संपूर्ण अभिवचन इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि गंगाराम ने प्रतिफल की संपूर्ण राशि प्राप्त विधिवत् प्रतिवादी क्रमांक—2, 3 एवं 5 को भूमि विक्रय कर कब्जा सौंपा था, तब से उक्त प्रतिवादीगण मालिक काबिज है। विवादित भूमि के खसरा नंबर—69 एवं 164/1 की भूमि में वादी रूपसिंह एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 एवं 5 का नाम शामिल शरिक में दर्ज है। उक्त भूमि में से वादी रूपसिंह एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 एवं 5 तथा उनके वारसान मालिक काबिज है। उक्त भूमि का हिस्सा वादी रूपसिंह को प्रतिवादीगण देने तैयार हैं, परंतु वादी रूपसिंह ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध मिथ्या आधारों पर वाद प्रस्तुत किया है, जो सव्यय निरस्त किया जावे।
- 5— प्रकरण में प्रतिवादी कमांक—6 एकपक्षीय है तथा उसकी ओर से लिखित कथन पेश नहीं किया गया है।
- 6— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :—

<u>क्रं</u> .	वाद—प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या विवादित भूमि खसरा नंबर 69, रकबा 0.06 एकड़ खसरा नंबर 164 रकबा 3.35 एकड़ एवं खसरा नंबर 20 रकबा 1.94 एकड़ मौजा मेंढकी प.ह.न. 21 रा.नि.मं. बैहर तहसील बैहर, जिला बालाघाट में स्थित भूमि वादीगण के पैतृक होकर सह स्वामित्व की भूमि है ?	खसरा नंबर 164/1, 69 रकबा कमशः 0.55,
2	क्या वादी क्रमांक—2 विवादित भूमियों में से 1/3 अंश प्राप्त करने का अधिकारी है ?	अंशतः प्रमाणित, वादी कमांक—2 विवादित भूमि के खसरा नंबर 164/1, 69 रकबा कमशः—0. 55,0.06 एकड़ भूमि पर 1/3 अंश का हकदार है।
3	क्या विक्रयपत्र दिनांक—13.09.1991 व दिनांक—09.10. 1992 विधि विरूद्ध होने से प्रभावशून्य घोषित किये जाने योग्य है ?	प्रमाणित नहीं
4	क्या संशोधन पंजी क्रमांक—1, 2, 3 दिनांक—03.01.93 प्रभावशून्य घोषित किये जाने योग्य है ?	प्रमाणित नहीं

# —:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::— वादप्रश्न क्रमांक—1 व 2 का निराकरण

उक्त दोनों वादप्रश्नों का निराकरण सुविधा की दृष्टि से एक साथ 7-किया जा रहा है। वादी ने विवादित भूमि के मूल खसरा नंबर 69, 164, 20 रकबा कमशः 0.06, 3.35, 1.94 एकड् भूमि पर प्रतिवादीगण के साथ सहस्वामित्व प्राप्त होने का दावा पेश किया है। उक्त विवादित भूमि में से खसरा नंबर 20 रकबा 1.94 एकड़ भूमि वादीगण के अभिवचन के अनुसार मूल पुरूष गंगाराम ने उसके पुत्र सुरपतसिंह अर्थात प्रतिवादी क्रमांक-1 के नाम से क्रय किया था, जिसे प्रतिवादीगण ने अपने लिखित कथन में अस्वीकार किया है। उक्त खसरा नंबर 20 रकबा 1.94 एकड़ भूमि का विक्रयपत्र वादीगण की ओर से पेश नहीं किया गया है, यद्यपि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख पांचसाला खसरा फार्म वर्ष 2006–07 से 2010–11 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-3 में भूमि स्वामी के रूप में सुरपतिसंह का नाम दर्ज होना प्रकट होता है। ऐसी दशा में यह उपधारणा की जा सकती है कि खसरा नंबर 20 रकबा 1.94 एकड़ पर सुरपतसिंह को ही स्वत्व प्राप्त है, जिसका खण्डन वादी पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार खसरा नंबर 20 रकबा 1.94 एकड़ भूमि को सुरपतसिंह के नाम पर गंगाराम के द्वारा क्रय किये जाने के संबंध में साक्ष्य का अभाव होने से तथा गंगाराम का स्वत्व प्रमाणित न होने से गंगाराम के वारसान का उस पर स्वत्व प्राप्त होना भी प्रमाणित नहीं होता है।

8— विवादित भूमि में से खसरा नंबर 69 रकबा 0.06 एकड़ भूमि के राजस्व अभिलेख पांचसाला खसरा फार्म वर्ष 2006—07 से 2010—11 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—3 एवं किश्तबंदी खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—4 के अनुसार खसरा नंबर 69 रकबा 0.06 एकड़ भूमि में गंगाराम के वारसान का नाम दर्ज होना प्रकट होता है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से खसरा नंबर 69 रकबा 0.06 एकड़ भूमि गंगाराम की मृत्यु उपरान्त उसके वारसानों का नाम दर्ज होने की उपधारणा की जा सकती है। प्रतिवादीगण ने अपने लिखित कथन की कंडिका 17 में खसरा नंबर 69 की भूमि शामिल शरीक रूप से दर्ज होना तथा उक्त भूमि पर वादी रूपसिंह को उसका हिस्सा देने को तैयार होने के अभिवचन किये गए हैं।

9— प्रतिवादी सुरपतिसंह (प्र.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में यह स्वीकार किया है कि खसरा नंबर 69 रकबा 6 डिसमिल भूमि पर आधे भाग पर मकान बना हुआ है और आधा खाली बाड़ी है, जो वादीगण की है। मूल पुरूष गंगाराम के जीवित वारसान के रूप में उसके पुत्र वादी क्रमांक—2 रूपिसंह, प्रतिवादी क्रमांक—1 सुरपतिसंह एवं पुत्री प्रतिवादी क्रमांक—5 पार्वतीबाई को गंगाराम की संपत्ति वारसान हक के रूप में प्राप्त होना प्रकट होती है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के अभिवचन और उक्त साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि खसरा नंबर 69 रकबा 0.06 एकड़ भूमि वादी क्रमांक—2 रूपिसंह, प्रतिवादी क्रमांक—1 व 5 के संयुक्त स्वामित्व की भूमि है।

10— प्रकरण में अब विवादित भूमि के मूल खसरा नंबर 164 के संबंध में साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना है। विवादित भूमि में से मूल खसरा नंबर 164 की भूमि गंगाराम के नाम पर दर्ज होने के संबंध में राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं है, किन्तु मूल खसरा नंबर 164 में से गंगाराम के द्वारा पंजीयत विकयपत्र दिनांक—13.09.1991 प्रदर्श पी—8 के माध्यम से सीताबाई को 1.00 एकड़ भूमि, पंजीयत विकयपत्र दिनांक—13.09.1991 प्रदर्श पी—10 के माध्यम से पारबतीबाई को 0.80 एकड़ भूमि तथा पंजीयत विकयपत्र दिनांक—09.10.1992 प्रदर्श पी—9 के माध्यम से धनेन्द्र सिंह को 1.00 एकड़ भूमि का विकय किये जाने के संबंध में उक्त विकयपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है। उक्त विकयपत्रों के अनुसार गंगाराम के द्वारा खसरा नंबर 164 में से 2.80 एकड़ भूमि का विकय किया जाना प्रकट होता है और उक्त विकय के पश्चात् मूल खसरा नंबर का बंटाकन होकर संशोधन पंजी दिनांक—03.01.1993 प्रदर्श पी—5, प्रदर्श पी—6, प्रदर्श पी—7 में उक्त केतागण का नाम खरीदी हक के कारण दर्ज होना प्रकट होता है।

11— वादीगण ने उक्त पंजीयत विक्रयपत्रों प्रदर्श पी—8, प्रदर्श पी—9 एवं प्रदर्श पी—10 को इस आधार पर चुनौती दी है कि गंगाराम के वयोवृद्ध होने और प्रतिवादी क्रमांक—1 के साथ निवासरत् होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी क्रमांक—1 ने अपनी पत्नी, पुत्र व प्रतिवादी क्रमांक—5 के नाम पर चोरी से उक्त विक्रयपत्रों का निष्पादन करवा लिया। यद्यपि वादी ने पश्चातवर्ती दशा में यह भी आधार लिया गया है कि उक्त विक्रयपत्र निष्पादन होने के पूर्व ही गंगाराम फौत हो चुका था, किन्तु उक्त के संबंध में वादी ने अभवचन नहीं किया है। अभिवचन के अभाव में वादी की यह साक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं है कि गंगाराम के फौत होने के पश्चात उक्त पंजीयत

विक्रयपत्र का निष्पादन हुआ था, किन्तु प्रकरण में पश्चातवर्ती दशा में गंगाराम का मृत्यु प्रमाणपत्र पेश होने पर उभयपक्ष को उक्त बिन्दु पर साक्ष्य प्रस्तुत करने व अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होने पर जो तथ्य प्रस्तुत हुए हैं, वाद की परिस्थिति में विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

वादी की ओर से मृतक गंगाराम के मृत्यु प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-13 में 12-मृत्यु दिनांक-16.06.1990 उल्लेखित है। उक्त दस्तावेज को जारीकर्ता अधिकारी के रूप में ग्राम पंचायत गोहरा के सचिव चंद्रेश कुमार (प्र.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने ग्राम पंचायत मेंढकी जनपद पंचायत बैहर में सचिव के पद पर होते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का आदेश प्राप्त होने पर गंगाराम पिता रामसिंह की मृत्यु पंजी में दर्ज कर प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-13 जारी किया। तहसीलदार अजीत तिर्की (प्र.सा.६) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके न्यायालय में राजस्व प्रकरण क्रमांक-817 / बी-1231, वर्ष 2013-14 में स्व. गंगाराम पिता रामसिंह, निवासी ग्राम मेंढ़की का मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैहर को आदेश दिया गया था। उक्त आदेश आवेदक रूपसिंह अर्थात वादी कमांक-2 के द्वारा आवेदन मय शपथपत्र प्रस्तुत कर हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन बुलाकर जारी किया गया था। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि उक्त राजस्व प्रकरण में हल्का पटवारी से प्रतिवेदन बुलाकर पृथक से कोई जांच नहीं की है और आवेदक के बयान पर आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार मृतक गंगाराम की मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किये जाने में राजस्व न्यायालय ने मात्र औपचारिक एवं संक्षिप्त प्रकिया अपनाई गई है, इस कारण उक्त प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-13 अनुसार मृतक गंगाराम की मृत्यु दिनांक के सही होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।

13— प्रतिवादी की ओर से यह बचाव पेश किया गया है कि मृतक गंगाराम की मृत्यु प्रश्नाधीन विकयपत्र निष्पादित होने के पश्चात् हुई है तथा उक्त विकयपत्र के निष्पादन के पश्चात् गंगाराम के द्वारा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित भण्डेरी तहसील बैहर से दिनांक—19.06.1992 को ऋण प्राप्त किया है। प्रतिवादी ने उक्त समिति का प्रमाणपत्र प्रदर्श डी—1 पेश किया है। इस संबंध में उक्त समिति के सहायक प्रबंधक मेवालाल खरे (प्र.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि गंगाराम ने दिनांक—19.06.1992 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर अल्पकालीन ऋण प्राप्त किया है, जिसके संबंध में समिति की पंजी आर्टिकल ए—1 में इन्द्राज है। गंगाराम ने

उक्त ऋण भूमि को बंधक रखकर प्राप्त किया था। समिति की भूमि बंधक पंजी आर्टिकल ए-2 है, जिसमें उक्त बंधक रखे जाने का इन्द्राज है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में उसकी साक्ष्य का खण्डन नहीं हुआ है। उक्त साक्षी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट है कि गंगाराम विक्यपत्र दिनांक—13.09.1991 प्रदर्श पी—08 एवं प्रदर्श पी—10 के निष्पादन के समय जीवित था और मृतक गंगाराम के कथित मृत्यु प्रमाणपत्र प्रदर्श पी—13 के आधार पर यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि उसकी मृत्यु दिनांक—16.06.1990 को हो चुकी थी। इस प्रकार वादी की ओर से यह तथ्य प्रमाणित नहीं है कि विक्यपत्र प्रदर्श पी—8, प्रदर्श पी—9 एवं प्रदर्श पी—10 के निष्पादन के पूर्व गंगाराम की मृत्यु हो गई थी।

- 14— गंगाराम द्वारा निष्पादित पंजीयत विक्रयपत्र प्रदर्श पी—8, प्रदर्श पी—9 एवं प्रदर्श पी—10 में यह उल्लेखित है कि गंगाराम ने विक्रेता के रूप में जो भूमियां क्रेतागण को विक्रय की हैं, वह प्रतिफल के एवज में अंतरण की है। प्रतिवादी साक्षीगण सूरपतिसंह (प्र.सा.1), जोरिसंह (प्र.सा.2), सोहनिसंह (प्र.सा.3) ने इस आशय के कथन किये हैं कि गंगाराम ने प्रतिफल की राशि प्राप्त कर विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि विक्रय की थी।
- 15— वादी का उक्त विक्रयपत्रों को प्रभावशून्य किये जाने का मुख्य आधार यह है कि मृतक गंगाराम प्रतिवादी क्रमांक—1 के साथ रहता था, जिसका नाजायज फायदा उठाकर जब गंगाराम वृद्ध एवं जहीब हो गया तो वादीगण के हक हिस्से को नष्ट करने कि बदनियत से वादीगण की चोरी से उक्त विक्रयपत्र का निष्पादन प्रतिवादी क्रमांक—1 ने कराया है। वादी ने प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विक्रयपत्रों को गंगाराम को धोखा देकर, बिना प्रतिफल के या छलपूर्वक निष्पादित किये जाने के संबंध में अभिवचन नहीं किये हैं। यद्यपि अभिवचन से हटकर वादी साक्षी रूपसिह (वा. सा.1) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि विक्रय पत्र इस कारण से भी फर्जी है, क्योंकि गंगाराम पढ़े—लिखे व्यक्ति थे, हस्ताक्षर करना अच्छी तरह से जाते थे, जबिक विक्रय पत्र में निशानी अंगूठा लगाया गया है, ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र अवैध एवं प्रभाव शून्य है।
- 16— वादीगण ने अभिवचन में उक्त विक्रय पत्रों को शून्य कराने का केवल यह आधार लिया है कि वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने

गंगाराम से झूठा विक्रय पत्र निष्पादित कराया है तो यह साबित करने का भार वादीगण पर था कि गंगाराम विक्रय पत्र निष्पादन के समय पूर्ण चेतना में नहीं था या उसकी शारीरिक या मानसिक स्थिति इतनी शिथिल थी कि वह विधिक रूप से विक्रय पत्र निष्पादन में अक्षम था। इस तथ्य को वादी की ओर से प्रमाणित नहीं किया गया है।

- 17— प्रतिवादी पक्ष की ओर से पंजीयत विक्रयपत्र दिनांक—06.10.1992 प्रदर्श पी—9 के साक्षी सोहनसिंह (प्र.सा.3) की साक्ष्य कराई गई है, जिसने यह कथन किया है कि गंगाराम ने खसरा नंबर 164 में से एक एकड़ भूमि 2,500/—रूपये प्रतिफल लेकर धनेन्द्र के पक्ष में विक्रयपत्र निष्पादित किया था, जिसमें उसके साक्षी के रूप में हस्ताक्षर हैं और गंगाराम ने उसके समक्ष विक्रयपत्र में अंगूठा लगाया था। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन नहीं किया गया है।
- प्रतिवादी केतागण के पक्ष में निष्पादित उक्त विकयपत्र प्रदर्श पी—8, प्रदर्श पी—9 एवं प्रदर्श पी—10 का पंजीयन होने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(ङ) के अन्तर्गत यह उपधारणा की जा सकती है कि उक्त विकयपत्र को सब रिजस्ट्रार ने पदीय कार्य नियमित रूप से संपादित करते हुए पंजीकृत किया था। पंजीयत विकयपत्र प्रदर्श पी—8, प्रदर्श पी—9 एवं प्रदर्श पी—10 का निष्पादन विधिवत् न किये जाने के संबंध में वादी ने उक्त विकयपत्रों के पंजीयनकर्ता अधिकारी या पंजीयन कार्यालय से लोक दस्तावेज को न्यायालय में आहूत कराकर चुनौती नहीं दी है। इस प्रकार उक्त पंजीयत विकयपत्रों विधिवत् निष्पादित होने की उपधारणा का खण्डन वादी पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।
- 19— उक्त विक्रयपत्र प्रदर्श पी—8 लगायत प्रदर्श पी—10 प्रारंभ से शून्य नहीं है तथा वादी ने उक्त विक्रयपत्रों को शून्य करणीय होने के संबंध में यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया है कि केतागण द्वारा गंगाराम से उक्त विक्रयपत्रों को कथित छलपूर्वक, बिना प्रतिफल के या मिथ्या व्यपदेशन कर निष्पादित कराया है। वादीगण ने विवादित भूमि पर सहदायिकी हक प्राप्त होने के आधार पर दावा पेश नहीं किया है। मृतक गंगाराम द्वारा विक्रय की गई भूमियों पर गंगाराम को एकमात्र स्वत्व प्राप्त होना प्रकट होता है तथा गंगाराम को विवादित भूमि का अंतरण करने का अधिकार न होने के संबंध में वादीगण की ओर से चुनौती नहीं दी गई है। इस प्रकार वादी ने गंगाराम

के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक—2, 3 व 5 के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र अवैध व प्रभावशून्य होना प्रमाणित नहीं किया है।

20— प्रकरण में प्रस्तुत समग्र साक्ष्य व तथ्यों से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि गंगाराम के द्वारा खसरा नंबर 164 में से 2.80 एकड़ भूमि का विक्रय किये जाने के उपरान्त विक्रय की गई भूमियां बटांकन पश्चात् खसरा नंबर 164/2, 164/3 एवं 164/4 केतागण के नाम पर तथा शेष बचत भूमि खसरा नंबर 164/1 रकबा 0. 55 एकड़ पर गंगाराम के वास्सान का नाम पर शामिल शरीक रूप से दर्ज होना प्रकट होता है। इस प्रकार विवादित भूमियों में से खसरा नंबर 164/1 रकबा 0.55 एकड़ भूमि तथा खसरा नंबर 69 रकबा 0.06 एकड़ भूमि पर गंगाराम की मृत्यु उपरान्त उसके जीवित बारसानगण को संयुक्त रूप से हक प्राप्त होना प्रकट होता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत वर्ग—1 के उत्तराधिकारी में गंगाराम के जीवित वारसान के रूप में पुत्रगण वादी रूपसिंह, प्रतिवादी सुरपतिसंह व पुत्री पारबतीबाई को गंगाराम की विवादित भूमि में से विक्रय उपरान्त बचत भूमियों अर्थात खसरा नंबर 164/1, 69 रकबा कमशः 0.55, 0.06 एकड़ भूमि पर शामिल शरीक स्वत्व प्राप्त होना प्रमाणित है।

उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि गंगाराम के जीवित वारसान के रूप में वादी रूपसिंह, प्रतिवादी क्रमांक—1 सुरपतिसंह एवं प्रतिवादी क्रमांक—5 पारबतीबाई को विवादित भूमि के खसरा नंबर 164/1, 69 रकबा क्रमशः 0.55, 0.06 एकड़ भूमि पर समान अंश अर्थात 1/3 अंश प्रत्येक को प्राप्त करने का अधिकार है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक—1 "अंशतः प्रमाणित, विवादित भूमि के मात्र खसरा नंबर 164/1, 69 रकबा क्रमशः 0.55, 0.06 एकड़ भूमि पर शामिल शरीक स्वत्व प्राप्त है" एवं वादप्रश्न क्रमांक—2 "अंशतः प्रमाणित, वादी क्रमांक—2 खसरा नंबर 164/1, 69 रकबा क्रमशः 0.55, 0.06 एकड़ भूमि के 1/3 अंश का हकदार है", के रूप में निराकृत किया जाता है।

## वादप्रश्न क्रमांक-3 व 4 का निराकरण

22— उक्त दोनों वादप्रश्नों का निराकरण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। वादी ने विकयपत्र दिनांक—13.09.1991, दिनांक—13.09.1991 व दिनांक—09.10.92 प्रदर्श पी—8 लगायत प्रदर्श पी—10 को अवैध एवं प्रभावशून्य होना

प्रमाणित नहीं किया है। ऐसी दशा में वादी उक्त विक्रयपत्रों को एवं संशोधन पंजी कमांक—1, 2, 3 दिनांक—03.01.93 को प्रभावशून्य घोषित कराने का हकदार नहीं है। अतएव वादप्रश्न कमांक—3 व 4 ''प्रमाणित नहीं'' के रूप में निराकृत किये जाते हैं।

### सहायता एवं व्यय

- 23— वादी ने विवादित भूमि में से खसरा नंबर 20 रकबा 1.94 एकड़ भूमि पर स्वत्व प्राप्त होने एवं खसरा नंबर 164 में से 2.80 एकड़ भूमि के विकयपत्रों को प्रभावशून्य घोषित कराने व उक्त भूमि पर स्वत्व प्राप्त होने का दावा प्रमाणित नहीं किया है। वादी ने विवादित भूमि में से मात्र खसरा नंबर 164/1, 69 रकबा क्रमशः 0.55, 0.06 एकड़ भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक—1 व 5 के साथ शामिल शरीक स्वत्व होना प्रमाणित किया है। अतएव वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर वाद में निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है:—
  - (1) वादी रूपसिंह का मौजा मेंढकी, प.ह.नं—21 राजस्व निरीक्षक मण्डल व तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 164/1, 69 रकबा क्रमशः 0.55, 0.06 एकड़ भूमि पर 1/3 अंश का स्वत्व प्राप्त है।
  - (2) उभयपक्ष अपना—अपना वाद व्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर (सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर